"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/तक. 114-009/2003/20-01-03."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 32]　　रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 10 अगस्त 2007—श्रावण 19, शक 1929

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं उमर बिन इफ्तेखार आत्मज श्री आई. एम. कुरैशी, निवासी-39, शिवनाथ कालोनी, रायपुर नाका के पास राजनांदगांव (छ. ग.) का हूं. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम उमर कुरैशी रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अतः अब मुझे उमर कुरैशी आत्मज श्री आई. एम. कुरैशी के नाम से जाना व पहचाना जावे.

पुराना नाम

उमर बिन इफ्तेखार
आत्मज-श्री आई. एम. कुरैशी
निवासी-39, शिवनाथ कालोनी,
रायपुर नाका के पास
राजनांदगांव (छ. ग.)

नया नाम

उमर कुरैशी
आत्मज-श्री आई. एम. कुरैशी
निवासी-39, शिवनाथ कालोनी,
रायपुर नाका के पास
राजनांदगांव (छ. ग.)

विविध

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय, रजिस्ट्रार पब्लिक ट्रस्ट एवं अनुविभागीय अधिकारी, रायपुर

रायपुर, दिनांक 5 जुलाई 2007

क्रमांक/ /अ.वि.अ./वाचक/ट्रस्ट/04.—चूंकि श्री मूलचन्द बोथरा आत्मज श्री भंवरलाल बोथरा, निवासी महावीर पैलेस शंकरनगर, रायपुर ने एक्ट 1951 की धारा 4 के अनुसार निम्नलिखित अनुसूची में दर्शायी गई संपत्ति को पब्लिक ट्रस्ट के रूप में पंजीयन करने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है.

यदि किसी भी व्यक्ति को ट्रस्ट अथवा संपत्ति में अभिरुचि हो और इस ट्रस्ट के संबंध में कोई आक्षेप करने की इच्छा हो या सुझाव देना हो तो वे इस सूचना के निकालने की एक माह की अवधि में इस न्यायालय में अपने लिखित वक्तव्य की दो प्रतियां प्रस्तुत करें और पेशी के दिन स्वतः या अपने अधिवक्ता अथवा एजेन्ट के माध्यम से उपस्थित होवें. निर्धारित तिथि के पश्चात् प्रस्तुत किये गये आक्षेपों पर किसी भी प्रकार का विचार नहीं किया जावेगा.

उक्त आवेदन पत्र की सुनवाई दिनांक 4-8-2007 को होगी.

अनुसूची

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम, पता व संपत्ति का विवरण)

(1)	पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता	:	"श्री डी. पी. बोथरा ट्रस्ट" महावीर पैलेस, शंकरनगर, रायपुर
(2)	चल संपत्ति	:	भारतीय स्टेट बैंक शंकरनगर, रायपुर खाता क्र. 1081037642, राशि 4437.00.
(3)	अचल संपत्ति	:	निरंक

रमेश शर्मा,
पंजीयक.

अन्य सूचनाएं

कार्यालय, संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, दुर्ग (छ. ग.)

दुर्ग, दिनांक 12 जुलाई 2007

क्रमांक/संपंदु/परिसमापन/2007.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक / उपदु / परिसमापन / 04 / 1586, दिनांक 06-09-2004 द्वारा श्री ए. एल. ध्रुवे, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, सहकारी समितियां दुर्ग को बी. एस. पी. कर्मचारी अपनाघर गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या. भिलाई पं. क्र. 66 का परिसमापक नियुक्त किया गया था तथा कार्यालयीन पत्र क्रमांक/संपंदु/परि./2006/1572, दुर्ग दिनांक 04-10-2006 के द्वारा संस्था के पुनर्जीवित किये जाने बाबत प्रतिवेदन श्री ए. एल. ध्रुवे, परिसमापक से चाहा गया था के संबंध में श्री ए. एल. ध्रुवे, परिसमापक ने दिनांक 10-06-2007 को स्थान पंचशील हा. से. स्कूल भिलाई में उक्त संस्था के सदस्यों की साधारण सभा आयोजित कर संस्था को पुनर्जीवित किये जाने का निर्णय पारित कराया गया है. वर्तमान में संस्था का कारोबार सुव्यवस्थित रूप से चलाये जाने की संभावना है. श्री ए. एल. ध्रुवे परिसमापक ने दिनांक 10-06-2007 को उक्त संस्था के संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत कर संस्था के परिसमापन को समाप्त कर पुनर्जीवित करने की अनुशंसा की है.

अतएव संस्था के सदस्यों के व्यापक हित में एवं जनहित में बी. एस. पी. कर्मचारी अपनाघर गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या. भिलाई, पं. क्र. 66 को पुनर्जीवित किया जाता है साथ ही पुरानी प्रबंधकारिणी कमेटी भी यथावत् बहाल की जाती है तथा तत्काल निर्वाचन की कार्यवाही प्रारंभ की जावे.

यह आदेश आज दिनांक 12-07-2007 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया है.

हितेश दोशी,
उप पंजीयक.

कार्यालय, उप पंजीयक सहकारी समितियां, धमतरी (छ. ग.)

धमतरी, दिनांक 6 जुलाई 2007

(छत्तीसगढ़ स्वायत्त सहकारिता अधिनियम 1999 की धारा 58 के अंतर्गत)

क्रमांक-उ. पं. ध./परिसमापन/2007/158.—छत्तीसगढ़ सप्लाई एण्ड प्रिन्टर्स को-ऑप. लिमिटेड, धमतरी, तहसील-धमतरी, जिला-धमतरी (छ. ग.) जिसका पंजीयन क्रमांक 09/स.पं. ध. दिनांक 19-09-2000 है, को छत्तीसगढ़ स्वायत्त सहकारिता अधिनियम 1999 की धारा 58 के प्रावधानानुसार विशेष संकल्प पारित करते हुए नियमानुसार विघटन की प्रक्रिया पूर्ण की गई है, तद्नुसार संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं एल. एल. बृंझ सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं जिला-धमतरी छत्तीसगढ़ स्वायत्त सहकारिता अधिनियम 1999 की धारा 58 (डी) के तहत छत्तीसगढ़ सप्लाई एण्ड प्रिन्टर्स को-ऑप. लिमिटेड, धमतरी पंजीयन क्रमांक 09/स. पं. ध., दिनांक 19-09-2000 का पंजीयन निरस्त करते हुए विघटित करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 06-07-2007 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा सहित जारी किया गया.

एल. एल. बृंझ,
सहायक पंजीयक.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2007.